



वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

फीडर बैलेंसिंग डेयरी कॉम्प्लेक्स, फुलवारीशरीफ, पटना-801505

फोन नं० - 0612-2252542, 2252553,

वेबसाईट - patnadairy.org

पी.डी.पी.क्रय: 6224

दिनांक : 06.12.2024

निविदा सूचना


वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना डेयरी प्रोजेक्ट, पटना के पशु आहार कारखाना, जगदेव पथ, पटना मे लेबर एवं बी.एम.सी. मे अवश्यकता के अनुसार (ड्राईवर) एवं कार्यालय में लेबर एवं ड्राईवर आपूर्ति हेतु एवं (मिश्रित कार्य के सफल निष्पादन हेतु) संबंधित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति / फर्म / कम्पनी / पार्टनरशिप फर्म / लिमिटेड कम्पनी / आदि से निविदा आमंत्रित की जाती है।

सूचना विज्ञापन दाता का नाम	:	वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, फुलवारीशरीफ, पटना-801505
दूरभाष	:	0612-2252542 / 2251622
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	1000/-
निविदा प्रपत्र मिलने की तिथि	:	14.12.2024 से 03.01.2025 तक (सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि	:	04.01.2025 (संध्या 3:00 बजे तक)
तकनिकी निविदा खुलने की तिथि	:	06.01.2025
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	:	तकनिकी निविदा खुलने के उपरांत तिथि की सूचना दी जाएगी।

तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में जमा होगा।

तकनिकी निविदा में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

- नोट :-
1. निविदादाता प्रत्येक कार्य का दर अंक तथा शब्दों में साफ-साफ अंकित करें।
 2. ओवर राईटिंग नहीं की जाए।
 3. सभी पृष्ठों को हस्ताक्षरित किया जाए।
 4. विस्तृत जानकारी हेतु कार्यदिवस में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।


प्रबंध निदेशक

निविदा प्रपत्र

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना के पशु अहार कारखाना में मिश्रित कार्य हेतु लेबर एवं बी.एम.सी. में ड्राइवर एवं कार्यालय में लेबर एवं ड्राइवर की आपूर्ति हेतु निविदा।

निविदा प्रपत्र मिलने की तिथि - 14-12-2024 से 03-01-2025 अपराहन 4:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि - 04-01-2025 को अपराहन 3.00 बजे तक
तकनिकि निविदा खुलने की तिथि - 06-01-2025

मूल्य रु०: 1000.00

आवेदक का नाम		
पिता का नाम		
पता		
स्थायी पता		
पिनकोड		
फोन नं०		
मोबाईल नं०		
ई-मेल		

नियम एवं शर्तें

1. निविदाकर्ता पार्टनरशिप फर्म / प्रोपराईटर / कॉरपोरेट बॉडी / इनमें से कोई भी निविदा भर सकता है जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हो और जिसके पास जरूरी दस्तावेज हो या जो फिर क्षेत्रीय लेबर कमीश्नर द्वारा रजिस्टर्ड हो या बिहार सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो।
2. निविदाकर्ता को डेयरी उद्योग में लेबर का वर्तमान में (Current three year) न्यूनतम तीन वर्षों का कार्य अनुभव हो, प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
3. निविदाकर्ता को श्रम विभाग द्वारा श्रमिक आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत होना चाहिए जो न्यूनतम 100 श्रमिक का हो।
4. सामान्य परिमाण और अवधि (50 लाख या उससे अधिक मूल्य के कार्यों का पिछले तीन सालों में) सफलतापूर्वक पूरा किया हो, उसकी छाया प्रति संलग्न करें।
5. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित तीन वित्तीय वर्ष का लाभ हानि खाता एवं बैलेंस शीट की छाया प्रति देना होगा जो प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 लाख का हो।
6. पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
7. निविदाकर्ता को पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी.एस.टी. में निबंधित होने का प्रमाण पत्र की छाया प्रति। पिछले एक वित्तीय वर्ष का पी.एफ. और ई.एस.आई. का ऑनलाईन चालान हो।
8. निविदाकर्ता का नाम किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हो।
9. निविदाकर्ता के विरुद्ध कोई पुलिस या कोई वैधानिक प्राधिकारी के पास कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
10. निविदाकर्ता को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि निविदाकार एवं कार्य करने वाले श्रमिक फौजदारी मुकदमा में अभियुक्त नहीं है।
11. यह कार्य पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। अतः कॉन्ट्रैक्टर अपने किसी श्रमिक को संघ में नियोजन का प्रलोभन अथवा आश्वासन नहीं देंगे। श्रमिक भी संघ में नियोजन का दावा नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपके श्रमिक आवंटित कार्यों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक गतिविधियाँ जिससे संघ को हानि पहुँचती हो यथा धरना, हड़ताल आदि में सम्मिलित नहीं होंगे।
12. आवंटित किये जाने वाले अनुबंध के लिए 5,00,000 (पांच लाख) रूपये की जमानत (EMD) राशि पन्द्रह दिन के अंदर संवेदक द्वारा जमा की जाएगी, जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदाकारों के अग्रधन राशि 15 दिनों के अन्दर वापरा लौटा दिया जाएगा, परन्तु सफल निविदाकारों की अग्रधन राशि जमानत राशि में समायोजित कर ली जाएगी।
13. निविदा स्वीकार किये जाने पर संबंधित संवेदक को योजना के साथ निर्धारित मूल्य के (1000/-रु0) का ननजुडिसियल स्टाम्प पेपर पर 21दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। कार्य संतोष जनक पाए जाने पर आपसी

सहमति से यह अवधि पूर्व निर्धारित शर्तों पर एकरारनामा अवधि का विस्तार दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

14. एजेन्सी के तहत कर्मियों के मजदूरी का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। यह राशि श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए।
15. चयनित एजेन्सी को एक सप्ताह के अंदर उपरोक्त शर्तों के संबंध में एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।
16. निम्नलिखित पंजियों का संधारण संवेदकों द्वारा अनिवार्य होगा।
 - (क) श्रमिकों की बही।
 - (ख) वेतन भुगतान बही।
 - (ग) उपस्थिति पंजी।
 - (घ) दुर्घटना पंजी।
17. चयनित एजेन्सी को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अतिकुशल मजदूर की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें फीटर, इलेक्ट्रीशन, वेल्डर, साधारण मजदूर इत्यादि की आपूर्ति करनी होगी।
18. मजदूरों को चार पालियों यथा प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली एवं सामान्य पाली में कार्य करना होगा।
19. मजदूरों को उत्पादन, रखरखाव, सफाई का कार्य एवं सहायक का कार्य करना होगा।
20. उक्त कार्य हेतु लगाये गये मजदूरों के सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी तथा उनके संबंध में सभी श्रमिक कानून आपको लागू तथा पालन करना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बोनस भुगतान अधिनियम, उपादान, पी.एफ.ई.एस.आई. ऐक्ट इत्यादि के अन्तर्गत जो भी भुगतान आदि देना होगा। वे सभी पूर्णतः आपकी जिम्मेवारी होगी एवं संबंधित पंजियों (निविदा प्रपत्र में वर्णित) को सत्यापित कराकर लेखा शाखा में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा और किसी भी विषय में वैशाल पाटलीपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना जिम्मेवार नहीं होगा।
21. यदि सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी, ई.एस.आई.पी.एफ. इत्यादि के दर में कोई परिवर्तन किया जाता है तो आपको लागू करना होगा। कन्टेक्ट अवधि में सरकार द्वारा की गयी वैधानिक संशोधन तक परिवर्तनीय है।
22. आवश्यकतानुसार प्रबंधन के निदेश के आलोक में आपको उत्पादन बढ़ाना अथवा घटाना होगा तथा उससे संबंधित व्यवस्था आपको करनी होगी।
23. आपके विपत्रों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। आपका विपत्र संबंधित अधिकारी को प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित करेंगे। प्रत्येक माह के विपत्र प्रस्तुत करते समय पिछले माह का अपने कामगारों से संबंधित पी.एफ.एवं ई.एस.आई. चालान को जमा प्रति भी प्रस्तुत करना होगा। तभी आपको विपत्र का भुगतान किया जाएगा।

24. अगर आपका कोई मजदूर कारखाने के अधिकारियों के साथ दूरव्यवहार करता हुआ पाया जाएगा तो आपका अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा।
25. (क) अगर आपके किसी मजदूर के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कारणों से कारखाने के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई तो प्रबंधन को आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुशासनिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।
(ख) अवांछनीय तरिके से काम बंद करने पर जमानत राशि कारखाने के अधिकारियों को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
26. संघ को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि 60(साठ) दिनों का नोटिस देकर बिना कारण बताये एकरारनामा को समाप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार चयनित एजेन्सी को यह अधिकार होगा कि वे 60(साठ) दिनों का पूर्व सूचना देकर एकरारनामा को समाप्त कर सकता है।
27. आपके किसी कर्मियों के आकस्मिक दुर्घटना के लिए संघ उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।
28. आपके द्वारा कर्मियों के मजदूरी का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। यह राशि श्रम संशाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए।
29. आबंटित कार्य हेतु लगाया जाने वाला मजदूर स्वस्थ व्यवहारकुशल तथा ईमानदार होना चाहिए, जिसके लिए निर्धारित पोशाक की व्यवस्था संबेदक द्वारा की जाएगी शिकायत की स्थिति में संबेदक को वैकलिपक मजदूर की व्यवस्था करनी होगी।
30. योजना के कर्मचारियों / पदाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना, उनके साथ दुर्व्यहार संबेदक अथवा उसके मजदूर द्वारा योजना के कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हस्तक्षेप या योजना के हितों के विरुद्ध कार्य में संलिप्ता की स्थिति में भी जमानत / विपत्र राशि की जब्ती के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया जा सकेगा।
31. अगर आपके एवं कारखाना अधिकारियों के बीच अनुबंध के अधीन विषय वस्तु के स्पस्टीकरण या इससे सम्बन्धित विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पटना का उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी आर्विटेरेटर होगा जिसका निर्णय दानो पक्षों का मान्य होगा। इस अनुबंध से उत्पन्न कोई विवाद पटना न्यायालय संघ के अधीन होगा।
32. आपके द्वारा पी.एफ.ई.एस.आई अनुबंध लाईसेंस एवं अन्य वधानिक कार्यवाही अनुबंध तिथि से 45 (पैंतालिस) दिनों में पूरी कर लेनी होगी एवं पी.एफ.ई.एस.आई.रजीस्ट्रेशन आपके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तो जमानत राशि जब्त करते हुए आपका अनुबंध समाप्त रद्द किया जाएगा।
33. निविदा में वर्णित सभी नियम - शर्तों के अनुपालन की जबाबदेही चयनित एजेन्सी की होगी।

34. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / रद्द करने का अधिकार वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

पटना डेयरी प्रोजेक्ट

फूलवारीशरीफ, पटना-801505

तकनिकी निविदा प्रपत्र

पशु आहार कारखाना में लेबर एव बी.एम.सी. में ड्राईवर एवं कार्यालय में लेबर एवं ड्राईवर आपूर्ति हेतु (मिश्रित एवं पशु आहार कारखाना में विविध कार्य हेतु)

1. निविदाकार का नाम :
2. स्थायी पता (आधार की छाया प्रति संलग्न किया जाए) :
3. पत्राचार का पता :
दूरभाष संख्या :
4. पूर्व में श्रम विभाग द्वारा लेबर आपूर्ति हेतु निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या (जो 100 लेबर का हो) (छाया प्रति संलग्न की जाए) :
5. सी.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. संख्या (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाए) चालान के साथ एक वित्तीय वर्ष की जानकारी। :
6. वर्तमान में (Current three year) लेबर Contract का तीन साल के अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाए) :
7. पिछला तीन वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर, जो 50,00,000 (पचास लाख) का प्रति वर्ष का हो, उसकी छाया प्रति संलग्न की जाए। :
8. चार्टर्ड एकाउंटेड द्वारा सत्यापित पिछला तीन वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाता एवं बैलेंस शीट की (छाया प्रति संलग्न की जाए)। :

9. तीन माह का जी.एस.टी. भुगतान की छाया प्रति। :
10. पैन नं० एवं इनकम टैक्स रिटर्न की तीन साल की छाया प्रति। :
11. विगत दो महीने में लेबर को बैंक के माध्यम से भुगतान की विवरणी की छाया प्रति। :
12. किसी सहकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नाम नहीं दर्ज होने का शपथ पत्र। :
13. किसी फौजदारी मुकदमा में अभ्युक्त नहीं होने का शपथपत्र। :
14. अग्रधन राशि रू० 50,000 /—(पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा तारीख बैंक ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक का नाम :

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

घोषणा पत्र

मैं पिता

पता

घोषणा करता हूँ कि

1. मैंने वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पशु आहार कारखाना जगदेव पथ, पटना में लेबर एवं ड्राईवर आपूर्ति हेतु (पशु आहार कारखाना के विभिन्न कार्य हेतु) निविदा डाल रहा हूँ।
2. मैंने निविदा की सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ा एवं समझा तथा यह मुझे स्वीकार है।
3. निविदा के तकनीकी विपत्र में दी गयी सूचनाएँ एवं संलग्न कागजात सही व सत्य है।
4. गेरे द्वारा दी गई सूचनाएँ एवं संलग्न कागजात गलत पाया जाता है तो मेरा निविदा विपत्र रद्द किया जा सकता है साथ ही कानूनी कार्रवाई भी मेरे विरुद्ध की जा सकती है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पशुं आहार कारखाना जगदेव पथ पटना द्वारा लेबर एवं ड्राईवर आपूर्ति हेतु (मिश्रित एवं पशु आहार कारखाना में विविध कार्य हेतु)

वित्तीय निविदा

कार्य का विवरण	दर प्रति मजदूर प्रतिदिन (वैधानिक खर्च, बोनस एवं कमीशन सहित) विवरण के साथ
मिश्रित एवं पशु आहार कारखाना में विविध कार्य हेतु	(i) अकुशल मजदूर रू० पैसे (ii) अर्धकुशल मजदूर रू० पैसे (iii) कुशल मजदूर रू० पैसे (iv) अति कुशल मजदूर रू० पैसे
ड्राईवर	रू०..... पैसे

दर की विवरणी :

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)